28/7/25

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अवसर चाहा गया। दावा अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212 RTA का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:10:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner